**छत्तीसगढ़ शासन**
**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**
**:: मंत्रालय ::**
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, 492001**

**// आदेश //**

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15-09-2026

क्रमांक **ESTB/33560/2026-HEALTH SECTION-1** :::: संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/अपर.संचा./नि.सहा./2026/13, दिनांक 03.09.2026 एवं कलेक्टर, जिला बेमेतरा के पत्र दिनांक 24.08.2026 में प्राप्त शिकायत एवं जांच प्रतिवेदन के अनुसार डॉ. अमृतलाल रोहलेडर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा के विरुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी करने तथा अनुचित स्पर्श किए जाने संबंधी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

2/ उक्त शिकायत की जांच के दौरान संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के कथन दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. अमृतलाल रोहलेडर द्वारा अनुचित भाषा का प्रयोग एवं अनुचित स्पर्श किए जाने संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट होना पाया गया है। जांच अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई है। डॉ. अमृतलाल रोहलेडर द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद पर रहते हुए किया गया उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है तथा गंभीर कदाचरण की श्रेणी का परिलक्षित होता है। प्रकरण में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

3/ अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. अमृतलाल रोहलेडर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

4/ निलंबन अवधि में डॉ. अमृतलाल रोहलेडर का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, जगदलपुर संभाग- बस्तर निर्धारित किया जाता है। वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

6/ निलंबन अवधि में डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

Vaishy 15/09/26

**(दिव्या वैष्णव)**
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक **ESTB/33560/2026-HEALTH SECTION-1,** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15-09-2026

**प्रतिलिपि:**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. विशेष सहायक, मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर। की ओर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारी को उक्त आदेश की तामिली कराकर तामिली प्रतिवेदन इस विभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, दुर्ग संभाग, छत्तीसगढ़।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बेमेतरा।
9. डॉ. अमृतलाल रोहलेडर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बेमेतरा।
10. **स्टाक फाइल।**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**Sd/**
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग